राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सी-3/1 अम्बेडकर [illegible] राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक : प.11(1[illegible])/ आविअ / आरएण्डपी / सा.न्या.अ.वि. / 12 / 4153 दिनांक 10-1-2[illegible]

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से पिछडे हुए समाज के वर्गों का चिन्हीकरण, पिछड़ेपन के कारण उनको दूर करने एवं उनके समग्र विकास हेतु आवश्यक सुझाव व सिफारिशें देने हेतु राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करती है।

यह आयोग राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जायेगा।

इस आयोग की सदस्यता, और इसका कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होगें :-

सदस्यता :

1. आयोग में इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य सचिव, तथा एक पूर्णकालिक / अंशकालिक सदस्य होगें।
2. अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
3. सदस्य सचिव राज्य सरकार के कम से कम उप सचिव स्तर के कार्यरत / निवर्तमान अधिकारी नियुक्त होगें।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य समायावधि से पूर्व अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देकर आयोग की सदस्यता त्याग कर सकता है।
5. राज्य सरकार, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी :-
   (1) कानुनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर,
   (2) किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर,
   (3) किसी समक्ष न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर,
   (4) कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होन पर,
   (5) आयोग को बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,
   (6) राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरूपयोग करने के फलस्वरूप जनहित में पद पद बने रहने के अनुपयुक्त होने पर,
   (7) आयोग के सदस्यों में से कोई भी पद रिक्त होने पर रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा नवीन मनोनयन कर तीन वर्ष के लिये भरा जा सकेगा।

Tel no. 0141-2220258, 2226647
E-Mail-sjeraj_bc@yahoo.co.in
Fax no. 2226631

कार्य एवं शक्तियां :

1. यह आयोग सामाजिक समरसता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर, और अनुसूचित जाति–जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करते हुए, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो का चिन्हीकरण कर उनकी सूची बनायेगा, उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करेगा एवं डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13491/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 22.12.2010 के क्रम में परिमाणनात्मक आंकड़ो (Quantifiable data) का संकलन करने का कार्य संपादित करेगा।

2. यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जाति/विशेष पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गो की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने तथा उक्त सूची में कम या अधिक समावेश होने संबंधी अभ्यावेदनों का परीक्षण करेगा तथा राज्य सरकार को इस बारे में सुझाव देगा।

3. यह आयोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए मापदण्ड के बारे में सुझाव देगा।

4. (1) आयोग के सदस्यों के वेतन/भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किये जायेगें जिनका भुगतान आयोग को दिये गये वार्षिक अनुदान से दिया जायेगा।

   (2) आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वंय निर्धारित करेगा।

   (3) आयोग समय–समय पर राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके कार्यो का लेखा–जोखा व समीक्षा होगी।

5. आयोग का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

6. यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आज्ञा से,

(अदिति मेहता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\Kulbir Meena\Letter.doc
Tel no. 0141-2220258 ,2226642
E-Mail-ajmij_bc@yahoo.co.in

Fax no. 2226631

(129)

क्रमांक : प 11(163)(आशिवआ / आरएण्डपी / सा.न्या.अ वि. / 12/ 154 – 250 दिनांक 10/7/13

(110)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मंत्री / राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन / शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
6. सम्भागीयआयुक्त,जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
12. गार्ड फाइल।

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\Mohit\Meena\Letters.doc
Tel no. 0141-2220258 ,2226642
E-Mail-ejoraj_bc@yahoo.co.in

Fax no. 2226631

201

(75) (8)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, रोजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक एफ 11 (163) आ.पि.व.आयो/आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./2012/5099 जयपुर, दिनांक 29/01/2016

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (163) आ.पि.व.आयो/आर एण्डपी/सा.न्या.अ.वि./2012/4153 दिनांक 10.01.2013 द्वारा गठित राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग में माननीय न्यायाधिपति (सेवानिवृत) श्री अनुपचन्द गोयल को अध्यक्ष, श्री मिथिलेश कुमार शर्मा (सेवानिवृत) न्यायाधीश तथा श्री करतार सिंह बनेडा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

यह आदेश कार्यग्रहण की तिथि से प्रभावी होंगे।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 11 (136)(3)आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./2012–13/5100–5250 जयपुर, दिनांक 29/01/2016

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
6. न्यायाधिपति (सेवानिवृत) श्री अनुपचन्द गोयल
7. न्यायाधीश (सेवानिवृत) मिथिलेश कुमार शर्मा
8. श्री करतार सिंह बनेडा
9. संभागीय आयुक्त जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष
11. समस्त जिला कलक्टर
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
13. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
15. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
16. गार्ड फाईल।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक : एफ.11(163)आपिव आयोग/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/36649 जयपुर, दिनांक ...08 जून 2016

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 11 (163) आपिव आयो/आरएण्डपी/सान्याअवि/2012/4153 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा गठित राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग में श्री मिथलेश कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश को आदेश कमांक 5099 दिनांक 29.01.2016 द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मिथलेश कुमार शर्मा को सदस्य के स्थान पर सदस्य सचिव मनोनीत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

8.6.16

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(163)आपिव आयोग/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/36650-800 जयपुर, दिनांक ...08 जून 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. न्यायाधिपति (सेवानिवृत्त) श्री अनुपचन्द गोयल, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग, जयपुर।
7. न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री मिथलेश कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. समस्त जिला कलेक्टर,
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग,
15. गार्ड फाइल।

8.6.16

(सुरेन्द्र सिंह गजराज)
उप निदेशक (पि.जा.

अध्यक्ष आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग

नाम = श्री अनूप चन्द गोयल

पिता का नाम = सेठ श्री पाली राम जी

आवास = गांव बैरासर छोटा जिला चूरू

जन्म तिथि = 25 फरवरी 1943

शिक्षा = LL.B , D.LL राजस्थान विश्व विद्यालय

न्यायिक सेवा में प्रवेश = सन् 1970

सेवा निवृत = न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर सन् 2005

1970 से 1977 मुन्सिम् एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट

1977 से 1983 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

1983 से 2001 अति जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, सीकर ,श्री गंगानगर , अजमेर

1985 से 1989 निदेशक विधि JDA

1994 से 1999 पीठासीन अधिकारी,ऋण वसूली अधिकरण जयपुर (राजस्थान,पंजाब,हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ,UT चण्डीगढ का क्षेत्राधिकार) 2001 से 2005 न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

2005 से 2008 अध्यक्ष जांच आयोग(पुलिस फायरिग)सोहेला जिला टोंक एवं अध्यक्ष जांच आयोग (पुलिस फायरिंग) रावला घडसाना(गंगानगर)

जस्टिस अनूपचंद गोयल पिता का नाम श्री सेढ श्री पाली राम गांव बैरासर छोटा जिला चूरू जन्म 25.02.1943 शिक्षा LL.B , D.LL राजस्थान विश्व विद्यालय सन् 2005 वर्ष 1970 से 1977 .एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा UT चन्डीगढ 2001 से 2005 तक न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

सदस्य सचिव आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग

नाम = मिथिलेश कुमार शर्मा

पिता का नाम = स्व. पं. एल.आर.शर्मा

आवास = गांम पिपरौआ तहसील व जिला धौलपुर (राजस्थान)

जन्म तिथि = 28 सितम्बर 1951

शिक्षा = M.A. , B.Sc , LL.B,

अनुभव = एडवोकेट 1975 से 1979 तक

1979 मे राजस्थान लोक सेवा आयोग से विधि अधिकारी के लिए चयनित होने के पश्चात् विधि अधिकारी के रूप में कार्य किया। पुनः1980 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अभियोजन अधिकारी के लिए चयनित होने के पश्चात् अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य किया।
पुनः1981 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर.जे.एस. में चयनित होने के पश्चात् जनवरी 1981 से 30.09.2011 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश के रूप में न्यायिक कार्य किया।

1991 से 1993 तक लोकायुक्त सचिवालय में सहायक सचिव व उसके पश्चात् न्यायिक सेवा अवधि में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर बैंच मे डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) रजिस्ट्रार व अन्य प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।

सेवा निवृति के पश्चात् = अध्यक्ष उपभोक्ता मंच के रूप मे बाडमेंर व जयपुर मे कार्य किया। राजस्थान सरकार द्वारा सदस्य आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग में मनोनीत किये जाने पर अध्यक्ष उपभोक्ता मंच के पद से त्याग पत्र देकर सदस्य सचिव आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग में फरवरी 2016 मे कार्य ग्रहण किया।

सदस्य राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग

नाम = श्री करतार सिंह बनेडा

जन्म तिथि = 16 जुलाई 1968

शिक्षा = B.COM, LL.B ,

सेवा निवृत = पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गुलाबपुरा राष्ट्रीय/प्रदेश कार्य समिती सदस्य भारतीय जनता पार्टी